59/2018 संख्या-सं0वि0क0नि0-1-561/11-2018-33/2018

प्रेषक,

एस0पी0 शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक: 12 अप्रैल, 2018

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 के अनुक्रम में वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति विषयक अपने पत्र संख्या-स्था-1-सामान्य स्थानान्तरण/2018-19/02/वाणिज्य कर दिनांक 02 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग की विशिष्ट कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नानुसार विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जाय:-

i- सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारियों को दिनांक 31.3.2018 को 01 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

ii- विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) में तैनात अधिकारियों को दिनंाक 31.3.2018 को 02 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

iii- सचल दल से सचल दल, वि0अनु0शा0 से वि0अनु0शा0 एवं सचल दल से वि0अनु0शा0 अथवा वि0अनु0शा0 से सचल दल में तैनाती नहीं की जायेगी।

iv - वाणिज्य कर मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कार्य के पदों पर की गयी सेवा को पूर्व से ही जिले अथवा मण्डल की गणना में शामिल नहीं किया जाता रहा है। अब इनके साथ-साथ स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2018 के प्रस्तर 02 पर उल्लिखित *'मण्डलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को मण्डल में निर्धारित 07 वर्ष की अवधि में नहीं गिना जायेगा।'* के अनुपालन में प्रदेश की सीमा पर पूर्व में स्थापित चेक पोस्टों पर की गयी सेवा, राज्य प्रतिनिधि एवं निबन्धक अधिकरण के पद पर की गयी सेवा को मण्डल अथवा जिले की कार्यावधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

3- उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तर 2 के बिन्दु (i) व (ii) में दिनांक 31.3.2018 को एक वर्ष/दो वर्ष के आधार पर ही सत्र की गणना की जायेगी।

4- अतः सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 के अनुक्रम में वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण उक्त विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in